भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3214
दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में संविदा कामगार

3214. श्री राजा राम सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली ने 2010-11 से सीधे तौर पर नियोजित किए गए 16 अपर श्रेणी लिपिक सहित संविदागत कामगारों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं जबकि इन्होंने 12 से 15 वर्ष तक कार्य किया है और इनका औद्योगिक विवाद भी लंबित है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सेवाओं की बहाली/नियमितीकरण के माध्यम से राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नई दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा नियोजित, वर्ष 2010-11 से कार्यरत संविदा नर्सों की सेवाएं 12 से 15 वर्षों के कार्यों (कोविड महामारी के दौरान सहित) के बावजूद समाप्त कर दी गई हैं; और
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार, दिल्ली में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/केन्द्र सरकार के किसी अन्य स्वास्थ्य संस्थान में इन संविदा नर्सों की सेवाओं को बहाल/नियमित करने की इच्छुक है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (डॉ. आरएमएलएच) द्वारा वर्ष 2010 और 2011 में अस्थायी आधार पर अनुबंध के आधार पर 16 अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) नियुक्त किए गए थे और एलडीसी के स्वीकृत और रिक्त पदों पर समय-समय पर उनकी नियुक्ति बढ़ाई गई थी। नियमित नियुक्ति के आधार पर पदों को भरे जाने पर वर्ष 2022 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसी तरह, नियमित नियुक्ति के आधार पर पदों को भरने पर वर्ष 2022 में कुछ संविदा नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। ऐसे संविदा कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति/नियमितीकरण के लिए इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****